रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464
CG-DL-E-25022021-225464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942
No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 139(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "पहुंच नियंत्रण तंत्र" से कोई उपाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत तकनीकी उपाय सम्मिलित है जिसके माध्यम से आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर पहुंच को उपयोक्ता की पहचान या आयु के सत्यापन के आधार पर निर्बन्धित किया जा सकेगा ;

(ख) "पहुंच सेवाएं" से कोई उपाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत बद्ध अनुशीर्षण, उपशीर्षण और श्रव्य विवरण सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर दिव्यांगजनों के लिए पहुंच में सुधार किया जा सकता है ;

(ग) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है ;

(घ) "बालक" से 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है ;

(ङ) "समिति" से नियम 14 के अधीन गठित अंतर्विभागीय समिति अभिप्रेत है ;

(च) "संचार सपर्क" से किसी हाइपर टैक्स्ट या ग्राफिकल एलीमेंट के बीच और समान या भिन्न इलैक्ट्रानिकी दस्तावेज के बीच एक या अधिक मदों में संपर्क अभिप्रेत है जिनमें किसी हाइपर लिंक की गई मद को दबाने पर उपयोक्ता को स्वतः हाइपर लिंक के दूसरे छोर पर अंतरित कर दिया जाता है जो दूसरा इलैक्ट्रानिकी अभिलेख या कोई अन्य वेबसाइट या अनुप्रयोग या ग्राफिकल एलीमेंट हो सकता है ;

(छ) "अंतर्वस्तु" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (न) के अधीन परिभाषित इलैक्ट्रानिकी अभिलेख अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर्वस्तु विवरणकर्ता" से ऐसे मुद्दे और चिंताए अभिप्रेत है जो किसी आनलाईन कुरेटड अंतर्वस्तु के वर्गीकरण से सुसंगत है, जिसके अंतर्गत विभेद, अवैध या खतरनाक पदार्थों का चित्रण, अनुकरणीय व्यवहार, नग्नता, भाषा, सैक्स, हिंसा, डर, धमकी, हारर और अन्य ऐसी चिंताए सम्मिलित हैं जिन्हें इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "डिजीटल मीडिया" से ऐसी डिजिटल की गई अंतर्वस्तु अभिप्रेत है जिसका इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्कों पर पारेषण किया जा सकता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा प्राप्त की गई, भंडार की गई, पारेषण की गई, संपादित या प्रोसेस की गई –

(i) मध्यवर्ती ; या

(ii) समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक या आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक;

(ञ) "शिकायत" के अंतर्गत कोई परिवाद चाहे किसी अंतर्वस्तु, किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के इस अधिनियम के अधीन कर्तव्य से संबंधित है या, यथास्थिति, किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित है;

(ट) "शिकायत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, यथास्थित, मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "मंत्रालय" से इन नियमों के भाग 2 को प्रयोजन के लिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और इन नियमों के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु" के अंतर्गत नए प्राप्त या उल्लेखनीय अंतर्वस्तु जिसके अंतर्गत विवरण विशेषकर मुख्यतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति की हाल ही की घटनाएं सम्मिलित है जिन्हें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्कों पर उपलब्ध कराया गया है और कोई अन्य डिजिटल मीडिया जिसमें समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु है जिनमें परिप्रेक्ष्य, सार, प्रयोजन, महता और ऐसी सूचना का अर्थ समाचार और करंट अफेयर की प्रकृति का है, सम्मिलित है;

(ढ) "समाचारपत्र" से खुली, मोड़ी हुई शीटों का आवधिक पत्र अभिप्रेत है जिसे प्रायः अखबारी कागज पर प्रिंट किया जाता है और दैनिक रूप से या कम से कम सप्ताह में एक बार निकाला जाता है, जिसमें वर्तमान घटनाक्रम, लोक समाचार पर सूचना या लोक समाचारों पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती है;

(ण) "समाचार एग्रीगेटर" से कोई अस्तित्व अभिप्रेत है जो समाचारों और करंट अफेयर अंतर्वस्तु को उपलब्ध कराने में अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है उपयोक्ता ओं को किसी कंप्यूटर संसाधन को उपलब्ध कराता है, जो ऐसे उपयोक्ता ओं को समाचारों और करंट अफेयर अंतर्वस्तु जिसको एग्रीगेट किया जा रहा है, कूरेट किया जा रहा है और ऐसे अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तक पहुंच बनाने में समर्थ करता है;

(त) "मांग पर" से कोई सिस्टम अभिप्रेत है जहां कोई उपयोक्ता, अभिदाता या दर्शक को ऐसे उपयोक्ता द्वारा इलैक्ट्रानिकी रूप में किसी अंतर्वस्तु को, जिसका किसी कंप्यूटर संसाधन पर पारेषण किया जाता है पर ऐसे उपयोक्ता द्वारा चुने गए समय पर और उपयोक्ता द्वारा चयन किए गए अनुसार पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाया जाता है;

(थ) "आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु" से समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु से भिन्न श्रव्य दृश्य अंतर्वस्तु का क्यूरेटेड कैटालाग अभिप्रेत है जिसका क्यूरेटेड आनलाइन अंतर्वस्तु प्रकाशक स्वामी है, अनुज्ञप्तिधारी है या जिसके साथ पारेषण की संविदा की गई है और जिसको मांग पर उपलब्ध कराया जाता है जिसके अंतर्गत किंतु उस तक ही सीमित नहीं है, अंशदान के माध्यम से इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंतर्गत फिल्म, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम, डाक्यूमेंट्री, टेलीविजन कार्यक्रम, सीरियल, पोडकास्ट और ऐसी अन्य अतर्वस्तु सम्मिलित है ;

(द) "व्यक्ति" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 की उपधारा (31) में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ध) "प्रकाशक" से समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक या आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक अभिप्रेत है;

(न) "समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक" से किसी आनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, समाचार एग्रीगेटर, समाचार अभिकरण और ऐसा कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कार्य करने के स्वरूप में समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु के प्रकाशक के अनुरूप हों किंतु इसके अंतर्गत समाचार पत्र, समाचार पत्रों के ई-पत्रों की अनुकृति और कोई व्यष्टिक या उपयोक्ता सम्मिलित नहीं होगा जो क्रमबद्ध कारबार व्यवसायिक या वाणिज्यिक कार्यकलाप के प्रक्रम में अंतर्वस्तु का पारेषण नहीं करता है;

(प) "आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक" से कोई प्रकाशक अभिप्रेत है जो किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु अभिप्रेत है जो किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु को उपलब्ध कराने का अवधारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उपयोक्ता ओं को किसी कंप्यूटर संसाधन को उपलब्ध कराता है, जो ऐसे उपयोक्ता ओं को इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच बनाने में समर्थ करते है और ऐसा अन्य अस्तित्व चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कार्य करने में आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशकों के समान हो किंतु इसके अंतर्गत कोई व्यष्टि या उपयोक्ता सम्मिलित नहीं है जो क्रमबद्ध कारबार वृत्तिक या वाणिज्यिक कार्यकलाप के प्रक्रम में अंतर्वस्तु का पारेषण नहीं करता है;

(फ) "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती" से सोशल मीडिया मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसके पास ऐसी अवसीमा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए पर अनेक संख्या में भारत में रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता हैं;

(ब) "सोशल मीडिया मध्यवर्ती" से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जो प्रारंभिक रूप से या एकमात्र रूप से दो या अधिक उपयोक्ता ओं के बीच आनलाइन इंटरेक्शन को समर्थ बनाता है और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करते हुए सूचना का सृजन करने में, अपलोड करने में, उसे बांटने में, उसका प्रसार करने में, उसे उपांतरित करने में या उस तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाता है;

(भ) "उपयोक्ता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच बनाता है या उसे सूचना को होस्ट करने, प्रकाशित करने, बांटने, अंतरण करने, देखने, प्रदर्शित करने, डाउनलोड करने या अपलोड करने के प्रयोजन के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने में मध्यवर्ती या प्रकाशक और पाने वाले तथा आरिजिनेटर का उपयोग करता है;

(म) "उपयोक्ता एकाउंट" से किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के पास किसी उपयोक्ता के एकाउंट का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है और इसके अतंर्गत प्रोफाइल, एकाउंट, पेज, हैंडल्स और ऐसे समान प्रेजेंस सम्मिलित है जिनके द्वारा कोई उपयोक्ता मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा प्रस्ताव की गई सेवाओं तक पहुंच करने में समर्थ होता है, अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश:, यथास्थिति, अधिनियम और उक्त नियमों में है ।

भाग 2

मध्यवर्तियों द्वारा सम्यक् तत्परता और शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि

3. (1) मध्यवर्ती द्वारा सम्यक् तत्परता का रखा जाना – कोई मध्यवर्ती जिसके अंतर्गत सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती सम्मिलित है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निम्नलिखित सम्यक् तत्परता का पालन करेगा, अर्थात् –

(क) मध्यवर्ती, यथास्थिति, अपनी वेबसाइट, मोबाईल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपयोक्ता करार को प्रकाशित करेगा;

(ख) मध्यवर्ती के नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति या उपयोक्ता करार कंप्यूटर संसाधित के उपयोक्ता को किसी सूचना को होस्ट नहीं करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे, उपांतरित नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे, पारेषित नहीं करेंगे, भंडार नहीं करेंगे, अद्यतन नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो –

(i) किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपयोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है;

(ii) अपमानजनक है, अश्लील है, कामोद्दीपक है, बालयौन शोषण संबंधी है, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाली है, जिसके अंतर्गत शारीरिक निजता, लिंग के आधार पर अपमानजनक या तंग करने वाली है, निंदाकारी है, मूल वंश या जातीय रूप से आक्षेपकारक है जो धनशोधन या जुआ या उससे संबंधित या बढ़ावा देने वाली है या अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि से असंगत या उसके प्रतिकूल है;

(iii) बालक के लिए हानिप्रद है;

(iv) किसी पेटेंट, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार या अन्य सांपातिक अधिकारों का अतिलंघन करती है;

(v) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती है;

(vi) पाने वाले को संदेश के उद्भव के संबंध में धोखा देती है या भ्रामक है या जानबूझकर या आशयपूर्वक किसी ऐसी सूचना से संसूचित करती है जो स्पष्ट रूप से मिथ्य या भ्रामक प्रकृति की है किंतु जिसे युक्तियुक्त रूप से एक तथ्य के रूप में देखा जा सकता है;

(vii) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है;

(viii) भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए उद्दीपत करता है या किसी अपराध के अन्वेषण को रोकता है या किसी दूसरे राष्ट्र का अपमान करता है;

(ix) उसमें कोई साफ्टवेयर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर कोड, फाइल या प्रोग्राम अंतर्विष्ट है जिसे किसी कंप्यूटर संसाधन में व्यवधान डालने, उसे नष्ट करने या उसके कार्य करने को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(x) जो स्पष्ट रूप से मिथ्य है और सत्य नहीं है तथा उसे किसी ऐसे प्ररूप में लिखा गया है या प्रकाशित किया जाता है जिसका आशय किसी व्यक्ति, अस्तित्व या अभिकरण को वित्तीय अभिलाभ के लिए तंग करना या किसी व्यक्ति को कोई उपहाति कारित करना;

(ग) मध्यवर्ती आवधिक रूप से अपने उपयोक्ता ओं को कम से कम वर्ष में एक बार सूचित करेगा कि ऐसे मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार कि अननुपालना की दशा में उसे उपयोक्ता ओं की पहुंच के अधिकार या कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग अधिकारों को तुरंत समाप्त करने का या, यथास्थिति, अननुपालना सूचना या दोनों को हटाने का अधिकार होगा ।

(घ) कोई मध्यवर्ती किसी अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय या समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित किए जाने पर किसी आदेश के रूप में वास्तविक जानकारी की प्राप्ति पर किसी अविधिपूर्ण सूचना को होस्ट नहीं करेगा, भंडार नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत की संप्रभुता और अखंडता; राज्य की सुरक्षा; विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों; लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता; किसी न्यायालय की अवमानना; मानहानि; पूर्वोक्त के संबंध में किसी अपराध के उद्दीपन या किसी सूचना के संबंध में है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है :

परंतु समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा किसी सूचना के संबंध में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, की गई कोई अधिसूचना किसी अभिकरण द्वारा ऐसे जारी की जाएगी जैसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और प्रर्वगों के भीतर स्वैच्छिक आधार पर खंड (ख) के अधीन या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम (2) के प्राप्त शिकायत आधार पर किसी सूचना डाटा या संसूचना या संपर्क पहुंच को हटाना या असमर्थ करना अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।

परंतु यह भी कि किसी सूचना, डाटा या संचार संपर्क, जो इस खंड के अधीन सूचना के प्रवर्गों के अधीन विनिर्दिष्ट है, का खंड (ख) के अधीन हटाया जाना स्वैच्छिक आधार पर या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्राप्त शिकायत के आधार पर होगा, या अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किन्हीं शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा ।

(ङ) अस्थायी सूचना का अस्थायी या अल्पकालिक या मध्यवर्ती भंडारण जो किसी मध्यवर्ती द्वारा स्वतः उसके नियंत्रण के अधीन किसी कंप्यूटर संसाधन या उस कंप्यूटर संसाधन के अभिन्न अभिलक्षण के रूप में किया जाता है जिसमें किसी मानव का कोई कृत्य करना अंतर्वलित नहीं है जो स्वचालित है जो आगे पारेषण के लिए एल्गोरिदमिक संपादकीय नियंत्रण है या किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन से संपर्क है, खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट सूचना का होस्ट किया जाना, भंडारण किया जाना या प्रकाशन नहीं होगा ;

(च) मध्यवर्ती अपने उपयोक्ता ओं को आवधिक रूप से कम से कम वर्ष में एक बार अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार या, यथास्थिति, अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोक्ता करार में किसी परिवर्तन से सूचित करेगा ;

(छ) खंड (घ) के अधीन वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर खंड (ख) के अधीन स्वैच्छिक आधार पर उल्लघंन या उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त शिकायत के आधार पर जब किसी सूचना को हटाया जाता है या उस तक पहुंच को अशक्त किया जाता है, मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को नष्ट किए बिना ऐसी सूचना और सहबद्ध अभिलेखों का अन्वेषण के प्रयोजनों के एक सौ अस्सी दिन तक या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए परिरक्षण करेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा या सरकारी अभिकरणों द्वारा जो विधिपूर्वक प्राधिकृत है, अपेक्षा की जाए;

(ज) जब कोई मध्यवर्ती किसी कंप्यूटर संसाधन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी सूचना का संग्रहण करता है, वह उसकी सूचना को, यथास्थिति, रजिस्ट्रेशन के किसी रद्दकरण या प्रतिसंहारण के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए प्रतिधारित करेगा;

(झ) मध्यवर्ती अपने कंप्यूटर संसाधनों और उनमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रिया तथा संवेदनशील वैयक्तिक सूचना) नियम, 2011 में यथाविहित है;

(ञ) मध्यवर्ती यथासंभव शीघ्र किंतु किसी आदेश की प्राप्ति से बहत्तर घंटे के अपश्चात् अपने नियंत्रणाधीन या कब्जे की सूचना को या सहायता को सरकारी अभिकरण को उपलब्ध कराएगा जो विधिपूर्वक पहचान का सत्यापन करने या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या साइबर सुरक्षा घटनाओं, अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, जांच करने या अभियोजन के लिए जांच करने या संरक्षण या साइबर सुरक्षा कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत है :

परंतु ऐसा कोई आदेश लिखित में होगा जिसमें स्पष्ट रूप से, यथास्थिति, सूचना या सहायता की वांछा करने का कथन किया जाएगा;

(ट) मध्यवर्ती जानबूझकर कंप्यूटर संसाधन में तकनीकी संरचना को तैनात या प्रतिस्थापित या उपांतरित नहीं करेगा या ऐसे किसी कृत्य में पक्षकार नहीं बनेगा जो कंप्यूटर संसाधन के प्रचालन के सामान्य प्रक्रम को, जो उसके द्वारा किए जाना संभावित है, परिवर्तित करे या उसमें परिवर्तित करने का सामर्थ्य हो, जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का परिवंचन हो:

परंतु मध्यवर्ती कंप्यूटर संसाधन और उसमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकीय साधन विकसित कर सकेगा, उत्पादित कर सकेगा, वितरित कर सकेगा या नियोजित कर सकेगा ।

(ठ) मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्ट करेगा और संबंधित सूचना को भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल और कृत्य और कर्तव्य निष्पादन रीति) नियम, 2013 में उल्लिखित यथाविहित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सूचना को बांटेगा ।

(2) मध्यवर्ती का शिकायत निपटान तंत्र: (क) मध्यवर्ती प्रमुख रूप से अपनी वेबसाइट पर मोबाइल आधारित अनुप्रयोग पर या दोनों पर शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरों के साथ उस तंत्र को प्रकाशित करेगा जिसके द्वारा कोई उपयोक्ता या पीड़ित इस नियम 5 के उपबंधों के किसी उल्लंघन को या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत कर सकेगा तथा शिकायत अधिकारी निम्नलिखित के उत्तरदायी होगा अर्थात्:-

(i) 24 घंटों के भीतर परिवाद को अभिस्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे परिवाद का निपटान करेगा;

(ii) समुचित सरकार, किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश, नोटिस या निदेश की प्राप्ति और अभिस्वीकृति देगा ।

(ख) मध्यवर्ती, किसी अन्तर्वस्तु के संबंध में, जो प्रथम दृष्ट्या ऐसी प्रकृति की सामग्री है जो ऐसे व्यष्टि के निजी हिस्से को उद्घाटित करती है, ऐसे व्यष्टि को पूर्णतः या अंशतः नग्न दर्शित करती है अथवा ऐसे व्यष्टि को किसी यौन कृत्य या व्यवहार में दर्शित या चित्रित करती है, अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिरुपण की प्रकृति की है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यष्टि की कृत्रिम रुप से मोर्फड छवियां भी हैं, इस उप-नियम के अधीन इस निमित्त व्यष्टिक या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर ऐसी अन्तर्वस्तु को हटाने या उस तक पहुंच को असमर्थ बनाने के लिए सभी युक्तियुक्त और व्यवहार्य उपाय करेगा जो इसके द्वारा होस्ट, भंडारित, प्रकाशित या संचारित की जाती है:

(ग) मध्यवर्ती इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक क्रियाविधि का कार्यान्वयन करेगा, जो ऐसी अन्तर्वस्तु या संचार लिंक के संबंध में, यथाआवश्यक ब्यौरे ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने में समर्थ बना सके ।

4. **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा बरती जाने वाली अतिरिक्त सम्यक् सावधानी** – (1) नियम 3 के अधीन बरती जाने वाली सम्यक् सावधानी के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (फ) में निर्दिष्ट अवसीमा की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त सम्यक् सावधानी बरतेगा, अर्थात् :-

(क) एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा और उस मध्यवर्ती द्वारा उपलब्ध करवायी गई या होस्ट की गई कोई सुसंगत तृतीय पक्षकार सूचना, डाटा या संचार लिंक से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों के लिए दायी होगा, जहां वह यह सुनिश्चित करने में असफल रहता है कि ऐसा मध्यवर्ती अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् सावधानी बरतता है:

परन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "मुख्य अनुपालन अधिकारी", पद से ऐसे मध्यवर्ती का महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसा अन्य ज्येष्ठ कर्मचारी अभिप्रेत है, जो भारत में निवासी है;

(ख) विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अधिकारियों के आदेशों या अध्यपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ 24x7 समन्वय करने हेतु सम्पर्क के लिए एक नोडल व्यक्ति नियुक्त करेगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सम्पर्क के लिए नोडल व्यक्ति", पद से मुख्य अनुपालन अधिकारी से भिन्न, मध्यवर्ती का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है, जो भारत में निवासी है;

(ग) निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जो खंड (ख) के अधीन रहते हुए, नियम 3 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवासी शिकायत अधिकारी", पद से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है, जो भारत में निवासी है;

(घ) प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे, और विनिर्दिष्ट संचार लिंक या सूचना के भागों की संख्या कि मध्यवर्ती आटोमेटेड उपकरण उपयोग करते हुए संचालित किसी पूर्व सक्रिय मानिटरी के अनुसरण में पहुंच को हटा दिया है या उसे असमर्थ बना दिया है, अथवा कोई अन्य सुसंगत सूचना जो विनिर्दिष्ट की जाए, उल्लिखित करते हुए प्रत्येक छह मास में आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(2) प्राथमिक रूप से संदेश की प्रकृति की सेवाएं प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती सूचना के पहले उद्भवकर्ता की पहचान इसके कम्प्यूटर संसाधन पर समर्थ बनाएगा जैसा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोध, मानिटरी और अकूटकरण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 69 के अधीन पारित आदेश द्वारा अपेक्षित हो, जो इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी सूचना की प्रति द्वारा समर्थित होगा :

परन्तु कोई आदेश, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या लोक व्यवस्था या उपरोक्त से संबंधित अपराध को उकसाने अथवा पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए दंडनीय बलात्कार, यौन चित्रित सामग्री या बच्चों के साथ यौन अपराधों के संबंध में अपराध के निवारण, खोज, अन्वेषण, अभियोजन या दंड के प्रयोजनों के लिए ही पारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उन मामलों में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जहां सूचना के उद्भवकर्ता की पहचान करने में कम अन्तर्भेदी साधन प्रभावी हैं:

परन्तु यह भी कि प्रथम उद्भवकर्ता की पहचान करने के लिए आदेश के अनुपालन में, किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती से किसी इलैक्ट्रानिक संदेश की अन्तर्वस्तु, प्रथम उद्भवकर्ता से संबंधित कोई अन्य सूचना, या इसके अन्य उपयोक्ताओं से संबंधित कोई अन्य सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि जहां किसी मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर किसी सूचना का प्रथम उद्भवकर्ता भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर अवस्थित है, तो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उस सूचना का प्रथम उद्भवकर्ता इस खंड के प्रयोजन के लिए सूचना का प्रथम उद्भवकर्ता समझा जाएगा ।

(3) किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती--

(क) जो किसी ऐसी रीति में प्रत्यक्ष वित्तीय फायदे के लिए, इसकी दृश्यता या विशिष्टत: बढ़ाता है या उस सूचना के प्राप्तकर्ता को लक्ष्यित करता है;

(ख) जिसका इसके पास प्रतिलिप्याधिकार है या अनन्य और विशिष्ट अनुज्ञप्ति रखता है या जिसके संबंध में इसने कोई ऐसी संविदा की है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सोशल मीडिया मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रदान की गई सूचना से भिन्न किन्हीं साधनों के माध्यम से उस सूचना का प्रकाशन या पारेषण निर्बंधित करती है,

के लिए किसी सूचना के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसके कम्प्यूटर संसाधन पर वह सूचना पारेषित करता है, यथास्थिति, विज्ञापित, विपणित, प्रयोजित, स्वामित्वाधीन या अनन्यत: नियंत्रित रूप में इसके उपयोक्ताओं को उस सूचना को स्पष्ट रूप से पहचानयोग्य बनाएगा या उसको उचित रीति में उस रूप में पहचान योग्य बनाएगा ।

(4) कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी आधारित उपाय, जिसके अन्तर्गत उस सूचना जो चाहे सुव्यक्त हो या विवक्षित, बलात्कार, बच्चों का लैंगिक शोषण या आचरण को किसी भी रूप में चित्रित करने वाले किसी कृत्य या अनुरुपण या कोई अन्य सूचना जो उस सूचना की अन्तर्वस्तु के ठीक समान है जिसे नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर पूर्व में हटा दिया गया है या उस तक पहुंच को असमर्थ किया गया है, को चित्रित करने वाली पूर्व सक्रिय सूचना को पहचानने वाले ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य तंत्र भी हैं, करने का प्रयत्न करेगा और ऐसी सूचना तक पहुंच का प्रयास करने वाले किसी उपयोक्ता को नोटिस प्रदर्शित करेगा कि ऐसी सूचना को इस उप-नियम में निर्दिष्ट प्रवर्गों के अधीन मध्यवर्ती द्वारा पहचान की गई है :

परन्तु इस उप-नियम के अधीन मध्यवर्ती द्वारा किए गए उपाय, वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर उपयोक्ता की निजता, जिसके अन्तर्गत तकनीकी उपायों के समुचित उपयोग के माध्यम से संरक्षित हित भी हैं, के हितों का ध्यान रखते हुए समानुपाती होंगे:

परन्तु यह और कि ऐसा मध्यवर्ती इस उप-नियम के अधीन किए गए उपायों की समुचित मानवीय अन्वेक्षा के लिए तंत्र कार्यान्वित करेगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे मध्यवर्ती द्वारा लगाए गए किन्हीं आटोमेटेड उपकरणों का आवधिक पुनर्विलोकन भी है:

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के अधीन आटोमेटेड उपकरणों का पुनर्विलोकन, ऐसे उपकरणों की सटीकता और ऋजुता, ऐसे उपकरणों में पक्षपात और विभेद की प्रवृत्ति और ऐसे उपकरणों की निजता और सुरक्षा पर प्रभाव का ध्यान रखते हुए आटोमेटेड उपकरणों का मूल्यांकन करेगा ।

(5) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया तंत्र में मध्यवर्ती का इसको संबोधित संसूचना प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, इसकी वेबसाइट पर या मोबाइल आधारित इंटरनेट एप्लीकेशन पर या दोनों पर प्रकाशित भारत में भौतिक सम्पर्क पता होगा ।

(6) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, नियम 3 के उपनियम (2) अधीन परिवादों की प्राप्ति तथा इस नियम के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक समुचित तंत्र कार्यान्वित करेगा, जो ऐसे मध्यवर्ती द्वारा प्राप्त प्रत्येक परिवाद या शिकायत के लिए एक विशिष्ट टिकट संख्या प्रदान करके ऐसे परिवाद या शिकायत की प्रास्थिति को जांचने के लिए परिवादी को समर्थ बनाएगी:

परन्तु ऐसा मध्यवर्ती, युक्तियुक्त सीमा तक, इसके द्वारा प्राप्त परिवाद या शिकायत के अनुसरण में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की गई या न की गई किसी कार्यवाही के लिए परिवादी को कारण बताएगा ।

(7) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, उन उपयोक्ताओं को जो भारत से उनकी सेवाओं के लिए रजिस्ट्रर करते हैं या भारत में उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वैच्छया समुचित तंत्र का उपयोग करके उनके खाते सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपयोक्ताओं की सक्रिय भारतीय मोबाइल संख्या भी है, और जहां कोई उपयोक्ता स्वैच्छया अपना खाता सत्यापित करता है वहां ऐसे उपयोक्ता को सत्यापन का प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिन्ह प्रदान किया जाएगा, जो सेवा के सभी उपयोक्ताओं को दृश्यमान होगा :

परन्तु इस उप-नियम के अधीन सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्राप्त कोई सूचना किसी अन्य प्रयोजन के लिए तब तक उपयोग नहीं की जाएगी, जब तक उपयोक्ता ऐसे उपयोग के लिए अभिव्यक्त रूप से सहमति नहीं देता है ।

(8) जहां कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, स्वप्रेरणा से नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन किसी सूचना, डाटा या संसूचना लिंक को हटाता है या उस तक पहुंच को असमर्थ बनाता है, तो ऐसा मध्यवर्ती,--

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उस समय के पूर्व जब ऐसा मध्यवर्ती ऐसी पहुंच को हटाता है या उसे असमर्थ बनाता है तो जिसने ऐसे उपयोक्ता को दिया है, जिसने इसकी सेवाएं उपयोग करते हुए सूचना, डाटा या संसूचना लिंक को सृजित, अपलोड, साझा, प्रसारित या उपातंरित किया है, को, की जा रही कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के आधारों या कारणों को स्पष्ट करते हुए, अधिसूचित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उपयोक्ता को, जिसने इसकी सेवाएं उपयोग करते हुए सूचना को सृजित, अपलोड, साझा, प्रसारित या उपातंरित किया है, ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करने के लिए पर्याप्त और युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाए तथा ऐसी सूचना, डाटा या संसूचना लिंक तक पहुंच को पुनः आरम्भ करने के लिए निवेदन करेगा, जो युक्तियुक्त समय के भीतर विनिश्चित की जा सकेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मध्यवर्ती का निवासी शिकायत अधिकारी, खंड (ख) के अधीन उपयोक्ता द्वारा उठाए गए किसी विवाद के समाधान के लिए तंत्र का समुचित निरीक्षण करता है ।

(9) मंत्रालय किसी महत्वपूर्ण सोशल मिडिया से ऐसी अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकेगा जो वह इस भाग के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

5. **समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु के संबंध में मध्यवर्ती द्वारा पालन की जाने वाली अतिरिक्त सम्यक् सावधानी** – यथाअनुयोज्य, नियम 3 और नियम 4 का पालन करने के अतिरिक्त, कोई मध्यवर्ती, यथास्थिति, अपनी वेबसाइट या मोबाइल आधारित एप्लिकेशन पर या दोनों पर समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु के प्रकाशकों को सूचित करते हुए एक स्पष्ट और संक्षिप्त कथन प्रकाशित करेगा कि सभी उपयोक्ताओं के लिए सेवा के सामान्य निबंधनों के अतिरिक्त, ऐसे प्रकाशक, नियम 18 के अधीन यथाअपेक्षित, मंत्रालय को ऐसे मध्यवर्ती की सेवाओं पर इसके उपयोक्ता खातों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे :

परन्तु कोई मध्यवर्ती ऐसे प्रकाशकों को, जिन्होंने नियम 18 के अधीन ऐसी सूचना प्रदान की है, प्रकाशक के रूप में सत्यापन का प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिन्ह प्रदान करेगा, जो सेवा के सभी उपयोक्ताओं को दृश्यमान होगा ।

स्पष्टीकरण – यह नियम केवल समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु से संबंधित है और इसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

6. **अन्य मध्यवर्ती की अधिसूचना** – (1) मंत्रालय, आदेश द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी मध्यवर्ती से जो कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती नहीं हैं, नियम 4 के अधीन उल्लिखित सभी या किन्हीं बाध्यताओं का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि उस मध्यवर्ती की सेवाएं ऐसी रीति में सूचना का प्रकाशन या पारेषण अनुज्ञात करती हैं जो भारत की संप्रभुता और निष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था को क्षति का महत्वपूर्ण जोखिम सृजित करती हो।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट क्षति के महत्वपूर्ण जोखिम का निर्धारण ऐसे मध्यवर्ती की सेवाओं की प्रकृति का ध्यान रखते हुए किया जाएगा, और यदि वे सेवाएं निम्नलिखित अनुज्ञात करती हैं, -

(क) चाहे, इस बात के होते हुए भी कि यह मध्यवर्ती का प्राथमिक उद्देश्य ही है, उपयोक्ताओं के बीच अन्योन्यक्रिया; और

(ख) अन्य उपयोकताओं की बडी संख्या को सूचना का प्रकाशन या पारेषण जिसका परिणाम ऐसी सूचना का व्यापक प्रसारण होना संभाव्य होगा ।

(3) इस नियम के अधीन कोई आदेश, यथास्थिति, किसी वेबसाइट के कंम्पूटर संसाधन या मोबाइल आधारित अप्लिकेशन या दोनो के विनिर्दिष्ट भाग के संबंध में जारी किया जा सकेगा, यदि ऐसा विनिर्दिष्ट भाग किसी मध्यवर्ती की प्रकृति का है :

परंतु जहां ऐसा आदेश जारी किया जाता है, वहां किसी अस्तित्व से उसके कम्प्यूटर संसाधन के विनिर्दिष्ट भाग के संबंध में, जो मध्यवर्ती की प्रकृति का है, नियम 4 के अधीन उल्लिखित सभी या किन्हीं बाध्यताओं का पालन करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

7. नियमों का अननुपालन – जहां मध्यवर्ती इन नियमों का पालन करने में असमर्थ रहता है, वहां अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के उपबंध ऐसे मध्यवर्ती को लागू नहीं होंगे और मध्यवर्ती तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंड का भागी होगा जिसमें अधिनियम के उपबंध तथा भारतीय दंड उपबंध भी हैं ।

भाग 3

डिजिटल या ऑनलाईन मीडिया के संबंध में आचार संहिता तथा प्रक्रिया और रक्षोपाय

8. **इस भाग का लागू होना –** (1) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित व्यक्तियों या अस्तित्वों को लागू होंगे, अर्थात :-

(क) समाचार और समसामयिक मामलों की अंतर्वस्तु के प्रकाशक;

(ख) ऑनलाईन चयनित अंतर्वस्तु के प्रकाशक; और

इसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसे इस भाग में "मंत्रालय" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु इस भाग अधीन बनाए गए नियम, नियम 15 और नियम 16 के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्तियों को लागू होंगे ।

(2) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम प्रकाशकों को लागू होंगे, जहां,-

(क) ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करता है ; या

(ख) ऐसा प्रकाशक भारत में इसकी अंतर्वस्तु उपलब्ध करवाने का व्यवस्थित कारबार क्रियाकलाप संचालित करता है ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) कोई प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाला समझा जाएगा, जहां ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति रखता है;

(ख) "व्यवस्थित क्रियाकलाप" से कोई संरचनात्मक या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना, पद्धति, निरंतरता या अध्यवसाय अंतर्वलित है ।

(3) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे ना कि उनके अल्पीकरण में और ऐसी विधियों के अधीन उपलब्ध कोई उपचार, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरूद्ध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम 2009 भी हैं ।

9. संहिता का पालन और अनुसरण – (1) नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में अधिकथित आचार संहिता का पालन और अनुसरण करेगा ।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करता है, वह ऐसी विधि में यथा उपबंधित पारिणामिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा, जिसका इस प्रकार उल्लंघन किया गया है ।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रहे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का पालन और अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए, तथा इस भाग के अधीन प्रकाशकों के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए, निम्नानुसार त्रिस्तरीय संरचना होगी –

(क) स्तर 1 – प्रकाशकों द्वारा स्वत: विनियमन;

(ख) स्तर 2 – प्रकाशकों के स्वत: विनियामक निकायों द्वारा स्वत: विनियमन;

(ग) स्तर 3 – केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि ।

अध्याय 1

शिकायत समाधान क्रियाविधि

10. शिकायत प्रस्तुत और प्रक्रियागत करना – (1) आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति नियम 11 के अधीन प्रकाशक और स्थापित शिकायत क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) प्रकाशक, शिकायत के सूचना और अभिलेख के प्रस्तुत किए जाने चौबीस घंटों के भीतर शिकायतकर्ता के फायदे के लिए शिकायत की अभिस्वीकृति सृजित और जारी करेगा।

(3) शिकायत के समाधान की रीति के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी –

(क) प्रकाशक शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर अपने विनिश्चय के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(ख) यदि प्रकाशक का विनिश्चय नियत पंद्रह दिन के भीतर शिकायतकर्ता को संसूचित नहीं किया जाता है तो शिकायत को स्वत: विनियामक निकाय के उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा जिसका प्रकाशक एक सदस्य है ।

(ग) जहां शिकायतकर्ता प्रकाशक के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्वत: विनियामक निकाय को ऐसा विनिश्चय प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका ऐसा प्रकाशक सदस्य है ।

(घ) स्वत: विनियामक निकाय खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शिकायत का समाधान करेगा, और प्रकाशक को अपना विनिश्चय मार्गदर्शन या सलाह के रूप में भेजेगा तथा पंद्रह दिन के अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को ऐसे विनिश्चय की सूचना देगा।

(ङ) जहां शिकायतकर्ता स्वत: विनियामक निकाय के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे विनिश्चय के पंद्रह दिन के भीतर समाधान के लिए नियम 13 में निर्दिष्ट निरीक्षण क्रियाविधि को अपील कर सकेगा ।

अध्याय 2

स्वत: विनियामक क्रियाविधि – स्तर 1

11. स्वत: विनियामक क्रियाविधि – स्तर 1 – (1) प्रकाशक स्वत: विनियामक क्रियाविधि के स्तर 1 पर होगा ।

(2) प्रकाशक,--

(क) एक शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि स्थापित करेगा और भारत में अवस्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा, जो उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रतितोषण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ख) इसकी शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि से संबंधित संपर्क के ब्यौरे प्रदर्शित करेगा, शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क के ब्यौरे, यथास्थिति, इसके वेबसाइट के किसी समुचित स्थान पर या अंतरापृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा ।

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकायत की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय को सुनिश्चित करेगा और विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे शिकायतकर्ता को संसूचित करेगा।

(घ) नियम 12 में यथा-निर्दिष्ट किसी स्वत: विनियामक निकाय का सदस्य होगा और इसके निबंधन और शर्तों का पालन करेगा ।

(3) शिकायत अधिकारी—

(क) आचार संहिता से संबंधित किसी शिकायत को प्राप्त करने के लिए संपर्क केंद्र होगा;

(ख) शिकायतकर्ता, स्वत: विनियामक निकाय और मंत्रालय के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।

(4) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु अनुसूची में निर्दिष्ट प्रवर्गों में ऐसे अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा, ऐसी अंतर्वस्तु के संदर्भ, विषय-वस्तु, स्वर, प्रभाव और लक्ष्य दर्शक, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के किसी निर्धारण पर आधारित ऐसे प्रवर्गों के लिए सुसंगत दर से संबंधित होगा ।

(5) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक प्रकाशक किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दर को प्रकाशित करेगा और यथास्थिति, ऐसी रीति में किसी समुचित स्थान पर इसके उपयोक्ताओं को सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता को प्रमुख रूप से स्पष्टीकरण देगा ताकि ऐसे उपयोक्ता को ऐसी अंतर्वस्तु पर पहुंचने से पहले इस सूचना की जानकारी हो ।

अध्याय 3

स्वत: विनियामक क्रियाविधि - स्तर 2

12. स्वत: विनियामक निकाय--(1) प्रकाशक या उसके सहयोजनों द्वारा गठित कोई स्वतंत्र निकाय, प्रकाशकों का एक या अधिक स्वयं विनिमयकारी निकाय हो सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वयं विनिमयकारी निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानव अधिकारी से किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के छह से अनधिक विशेषज्ञ होंगे ।

(3) स्वत: विनियामक निकाय उपनियम (2) के अनुसार अपने गठन के पश्चात्, मंत्रालय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर और जहां कोई स्वत: विनियामक निकाय, जो उसके गठन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसी अवधि के पश्चात् गठित की जाती है, रजिस्टर करेगा :

परंतु स्वत: विनियामक निकाय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले मंत्रालय अपना यह समाधान करेगा कि स्वत: विनियामक निकाय का गठन उपनियम (2) के अनुसार किया गया है और वह उपनियम (4) और उपनियम (5) में अधोकथित कृत्यों का पालन करने के लिए सहमत है।

(4) स्वत: विनियामक निकाय निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात् :--

(क) आचार संहिता के प्रकाशक द्वारा संरेखण और अनुषक्ति का पर्यवेक्षण करना और उसे सुनिश्चित करना ;

(ख) आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ग) पन्द्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशकों द्वारा समाधान न की गई शिकायतों को इंगित करना;

(घ) प्रकाशकों के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अपीलों को सुनना;

(ङ) आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रकाशकों को ऐसे दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना।

(5) कोई स्वत: विनियामक निकाय जब किसी शिकायत का निपटारा या उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी अपील का निपटारा कर रही है, तो प्रकाशकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश या परामर्शिका जारी कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) प्रकाशक को चेतावनी देना, परिनिन्दा करना, भर्त्सना करना या फटकार लगाना; या

(ख) प्रकाशक से क्षमा मांगने की अपेक्षा करना; या

(ग) चेतावनी कार्ड या किसी इंकार को सम्मिलित करते हुए प्रकाशक से अपेक्षा करना; या

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दशा में, प्रकाशक को निर्देश देना कि-

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग का पुन:वर्गीकरण करे;

(ii) विवरणकर्ता, उम्र का वर्गीकरण और नियंत्रण उपायों तक पहुंच की अंतर्वस्तु में समुचित उपांतरण करे;

(iii) सुसंगत अंतर्वस्तु के सारांश को बदले; या

(ङ) किसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां वह संतुष्ट है कि समुचित कार्रवाई के लिए लोक व्यवस्था से संबंधित किए गए संज्ञेय अपराध के लिए उद्दापन के निवारण इसके लिए अंतर्वस्तु को बदलने या उपांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है या अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में संगणित कारणों के संबंध में नियम 13 में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि द्वारा विचार के लिए मंत्रालय को निर्दिष्ट करना ।

(6) जहां स्वत: विनियामक निकाय की यह राय है कि आचार संहिता का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह शिकायतकर्ता और ऐसी इकाई को ऐसे विनिश्चय के संबंध में संसूचित करेगी।

(7) जहां कोई प्रकाशक, ऐसे दिशानिर्देश या परामर्शिका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्वत: विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों और परामर्शिकाओं का पालन करने में असफल रहता है तो स्वत: विनियामक निकाय मामले को विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर नियम 13 में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि को निर्दिष्ट करेगा ।

अध्याय 4

अन्वेक्षा क्रियाविधि - स्तर 3

13. अन्वेक्षा क्रियाविधि—(1) मंत्रालय, प्रकाशकों और स्वत: विनियामक निकायों द्वारा आचार संहिता की अनुषक्ति का समन्वयन करेगा और उसे सुकर बनाएगा, अन्वेक्षा क्रियाविधि का विकास करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे निकायों के लिए व्यवहार संहिता को सम्मिलित करते हुए, स्वत: विनियामक निकायों के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करना;

(ख) शिकायतों को सुनने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति की स्थापना करना;

(ग) नियम 12 के अधीन स्वत: विनियामक निकाय के विनिश्चय से उद्भूत शिकायतों को या जहां विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर स्वत: विनियामक निकाय द्वारा कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है या आचार संहिता के अतिक्रमण से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतें या निर्देश को, जिसे आवश्यक समझा जाए, अंतर-विभागीय समिति को निर्दिष्ट करना;

(घ) प्रकाशकों को समुचित दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना;

(ङ) आचार संहिता के अनुरक्षण और अनुषक्ति के लिए प्रकाशकों को आदेश और निदेश जारी करना ।

(2) मंत्रालय, यथास्थिति, नियम 15 या नियम 16 के अधीन निदेशों को जारी करने के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, मंत्रालय का एक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

14. अंतर-विभागीय समिति—(1) मंत्रालय, एक अंतर-विभागीय समिति गठित करेगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और ऐसे अन्य मंत्रालय और संगठन जिसमें, ऐसे डोमेन विशेषज्ञ सम्मिलित हैं, जिसे समिति में सम्मिलित करने का विनिश्चय किया जा सके, के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई समिति कही जाएगी :

परंतु नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) समिति, आवधिक रूप से बैठक करेगी और नियम 8 में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा आचार संहिता के अतिक्रमण और उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें भी सुनेंगी—

(क) स्तर 1 या स्तर 2 पर लिए गए विनिश्चयों के संबंध में उद्भूत शिकायतें, जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं, जहां शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे विनिश्चय नहीं लिए गए हैं; या

(ख) जिसे मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) समिति को निर्दिष्ट ऐसी कोई शिकायत, चाहे वह शिकायतों से उद्भूत हो या मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट हो, लिखित में होगी और शिकायत को निर्दिष्ट करते हुए इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ मेल या फैक्स द्वारा या ई-मेल द्वारा भेजा जा सकेगा और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे निर्देश में कोई संख्या समनुदेशित की जाएगी, जो इसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ अभिलिखित की गई हो ।

(4) मंत्रालय, नियम 8 में निर्दिष्ट इकाई की पहचान के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगी जो अंतर्वस्तु या उसके भाग का सृजन, प्रकाशित या होस्ट किया गया है और जहां ऐसी इकाई की पहचान योग्य हो जाती है, तो यह समिति के समक्ष उसका उत्तर या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और प्रकट करने के लिए ऐसी इकाई को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूचना जारी करेगा ।

(5) सुनवाई में, समिति परिवाद और शिकायतों की परीक्षा करेगी और ऐसे परिवाद या शिकायत को या तो स्वीकार करेगी या अनुज्ञात करेगी और मंत्रालय को निम्नलिखित सिफारिशें दे सकेगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी इकाई को चेतावनी, परिनिंदा, भर्त्सना या फटकारना; या

(ख) ऐसी इकाई द्वारा क्षमा की अपेक्षा; या

(ग) ऐसी इकाई से चेतावनी कार्ड या दावा त्याग को सम्मिलित करने की अपेक्षा; या

(घ) यदि आनलाइन संगृहीत अंतर्वस्तु किसी प्रकाशक को,--

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग को वर्गीकृत करने; या

(ii) सुसंगत अंतर्वस्तु की रूपरेखा को संपादित करने; या

(iii) अंतर्वस्तु निरूपक, आयु वर्गीकरण और पैतृक या पहुंच नियंत्रण में समुचित उपांतरण करने का निदेश देती है ;

(ङ) लोक व्यवस्था से संबंधित संज्ञेय अपराध कारित किए जाने के उत्प्रेरण को रोकने के लिए अंतर्वस्तु का लोप या उपांतरण ;

(च) ऐसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां समिति का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में संख्यांकित कारणों के संबंध में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, वह ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी ।

(6) मंत्रालय, समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, प्रकाशक द्वारा अनुपालन के लिए समुचित आदेश और निदेश जारी कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय" कहा गया है) के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा ।

15. निदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया—(1) नियम 14 के उपनियम (5) के खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सिफारिशों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, मामले को समुचित विनिश्चय के लिए सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विनिश्चय के अनुमोदन पर प्रकाशक को, यथास्थिति, सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को सुसंगत अंतर्वस्तु और लोक पहुंच के लिए उनके कम्प्यूटर स्रोत में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या पोषित सूचना को निदेश में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हटाने या उपांतरित करने या ब्लाक करने का निदेश देगा:

परंतु यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी समिति को सूचित करेगा ।

(3) इस नियम के अधीन निदेश केवल, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु या अंतर्वस्तु की संख्यांकित सूची के बारे में जारी किया जाएगा और किसी इकाई से उसके प्रचालन को समाप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा ।

16. आपात की दशा में सूचना को रोकना—(1) नियम 14 और नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, आपात की दशा में, जिसके लिए कोई विलंब स्वीकार्य नहीं है, सुसंगत अंतर्वस्तु की परीक्षा करेगा और विचार करेगा कि क्या यह अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आधारों के अधीन आता है और ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को रोकना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तथा सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखित में विनिर्दिष्ट सिफारिश प्रस्तुत करेगा ।

(2) आपात की दशा में, यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी कम्प्यूटर स्रोत के माध्यम से सूचना या उसके किसी भाग तक लोक पहुंच को अवरूद्ध करना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को पोषित करने वाले किसी कम्प्यूटर संसाधन पर नियंत्रण रखने वाले पहचान किए गए या पहचान योग्य व्यक्तियों, प्रकाशकों या मध्यवर्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, यथाशीघ्र, लेकिन उपनियम (2) के अधीन निदेश जारी किए जाने से अड़तालीस घंटों से अनधिक समय के भीतर समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए अनुरोध करेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऐसे अनुरोध के अनुमोदन के संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगा और यदि ऐसे अवरूद्ध किए जाने के अनुरोध का अनुमोदन सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उपनियम (2) के अधीन जारी अन्तरिम निदेश प्रतिसंहृत किया जाएगा और तदनुसार, ऐसी सूचना पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे व्यक्ति, प्रकाशक और मध्यवर्ती को लोक पहुंच के लिए सूचना पर से अवरोध हटाने का निदेश देगा ।

17. जारी किए गए निदेशों का पुनर्विलोकन--(1) प्राधिकृत अधिकारी समिति की कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत समिति को निर्दिष्ट शिकायतें भी हैं, के पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित करेगा और समिति द्वारा की गई सिफारिशों और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का अभिलेख भी अनुरक्षित करेगा ।

(2) पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और उसके निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी कि इन नियमों के अधीन अंतर्वस्तु या सूचना को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए निदेश अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार है और यदि उसकी यह राय है कि निदेश उक्त उपबंधों के अनुसरण में नहीं है, वह ऐसे अंतर्वस्तु और कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या पोषित सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निदेशों और जारी किए गए आदेशों को अपास्त कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजन के लिए "पुनर्विलोकन समिति" से भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419क के अधीन गठित समीक्षा समिति अभिप्रेत है ।

अध्याय 5

सूचना का प्रस्तुत किया जाना

18. सूचना का प्रस्तुत किया जाना--(1) समाचार और समसामयिकी अंतर्वस्तु का प्रकाशक और भारत राज्यक्षेत्र में संचालित ऑनलाइन संग्रहित अंतर्वस्तु का प्रकाशक मंत्रालय को ऐसे दस्तावेजों के साथ सूचना प्रस्तुत करके पर उसकी इकाई के ब्यौरों के बारे में जो उसमें संसूचना और समन्वयन को समर्थ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, सूचना देते हुए सूचित करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना इन नियमों के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और जहां ऐसा प्रकाशक इन नियमों के आरंभ के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन का आरंभ करता है या अस्तित्व में आता है, यथास्थिति उसके भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन आरंभ करने या उसके अस्तित्व में आने की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) समाचार और समसामयिक अंतर्वस्तु का प्रकाशक, प्राप्त की गई शिकायतों के ब्यौरे और उस पर की गई कार्यवाही की निगरानी की प्रत्येक माह की आवधिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा ।

(4) मंत्रालय का प्रकाशक से ऐसे अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा जो वह इस भाग के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

19. सूचना का प्रकटन--(1) कोई प्रकाशक या स्वत: विनियामक निकाय, उसके द्वारा प्राप्त की गई सभी शिकायतों का, उस रीति का, जिसमें ऐसी शिकायतों का निपटान किया गया है, शिकायत पर की गई कार्रवाई का, शिकायतकर्ता को दिए गए प्रत्युत्तर का, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों या निदेशों का और ऐसे आदेशों या निदेशों पर की गई कार्रवाई का सही और पूर्ण प्रकटन करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उसको प्रत्येक अद्यतन किया जाएगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, प्रकाशक उसके द्वारा पारेषित अंतर्वस्तु के अभिलेख कम से कम साठ दिन की अवधि के लिए परिरक्षित करेगा और उसे नियमों के क्रियान्वयन के लिए स्वत: विनियामक निकाय या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण को, जब भी उनके द्वारा अध्यपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा ।

परिशिष्ट

आचार संहिता

I. समाचार और करंट अफेयर :

(i) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन भारतीय प्रैस परिषद् के पत्रकारिता संचालन के सन्नियम ;

(ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के अधीन कार्यक्रम संहिता ;

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, का प्रकाशन या पारेषण नहीं किया जाएगा ।

II. ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु :

(अ) सामान्य सिद्धांत :

(क) कोई प्रकाशक किसी अंतर्वस्तु का पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन नहीं करेगा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ख) कोई प्रकाशक निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन आने वाली अंतर्वस्तु की विवक्षाओं पर सम्यकत: विचार करने के पश्चात्, किसी अंतर्वस्तु के चित्रण या पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन करने का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा और उनके संबंध में सम्यकत: सावधानी और स्व:विवेक का प्रयोग करेगा, अर्थात्:--

(i) ऐसी अंतर्वस्तु, जो भारत की संप्रभूता और अखंडता को प्रभावित करती है;

(ii) ऐसी अंतर्वस्तु, जो राज्य की सुरक्षा को चुनौती देती है, खतरे में डालती है या जोखिम में डालती है;

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु, जो भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रता के संबंधों के लिए हानिकर है ।

(iv) ऐसी अंतर्वस्तु जिसमें हिंसा भड़कने या लोक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

(ग) प्रकाशक किन्हीं कार्यकलापों, विश्वासों, पद्धतियों या किन्हीं जातिय या धार्मिक समूह के विचारों का चित्रण करते हुए भारत के बहु-जातिय और बहु धार्मिक परिप्रेक्ष्य को विचार में लेगा और सम्यक् सावधानी रखेगा ।

(आ) अंतर्वस्तु वर्गीकरण:

(i) किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा पारेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी अंतर्वस्तु का निम्नलिखित रेटिंग प्रवर्गों में अंतर्वस्तु की कोटि और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जो बालकों के साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है, को "यू" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ख) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जो 7 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को "यू/ए 7+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ;

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जो 13 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को "यू/ए 13+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ;

(घ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जो 16 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को "यू/ए 16+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और

(ङ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जो केवल व्यस्कों तक निर्बंधित है, को "ए" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(ii) अंतर्वस्तु को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथाउपांतरित अनुसूची में यथावर्णित: (i) थीम और संदेश; (ii) हिंसा; (iii) नग्नता; (iv) सेक्स; (v) भाषा; (vi) ड्रग्स और पदार्थों का दुरुपयोग; और (vii) भयोत्पादक, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(इ) वर्गीकरण का प्रदर्शन :

(क) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक, प्रमुख रूप से प्रत्येक अंतर्वस्तु या कार्यक्रम की विशिष्ट वर्गीकरण रेटिंग अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के साथ उपयोक्ता को अंतर्वस्तु की प्रकृति के विषय में सूचित करते हुए प्रदर्शित करेगा तथा दर्शक को प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में (यदि लागू हो) दर्शक विवरण का परामर्श देगा, जिससे उपयोक्ता कार्यक्रम को देखने से पूर्व एक संसूचित विनिश्चय करने में समर्थ हो सके ।

(ख) किसी ऐसी अंतर्वस्तु को, जिसे यू/ए 13+ या उच्चतर ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, को उपलब्ध कराने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि पेरेन्टल लॉक सहित पहुंच नियंत्रण तंत्र ऐसी अंतर्वस्तु के लिए उपलब्ध हो।

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक, जो ऐसी अंतर्वस्तु या कार्यक्रम को उपलब्ध कराता है, जिसे "ए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसी अंतर्वस्तु को देखे जाने के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र का कार्यान्वयन करेगा ।

(घ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक को किसी प्रिंट टेलीवाइज़ड या ऑनलाइन संवर्धन या प्रचार सामग्री में अपने कार्यक्रमों के लिए वर्गीकरण रेटिंग और उपभोक्ता सलाह को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी प्रत्येक अंतर्वस्तु के प्रति विनिर्दिष्ट रेटिंग को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ई) किसी बालक द्वारा कतिपय क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच का प्रतिबंध :

ऐसी ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु, जिसमें "ए" रेटिंग दी गई है तक पहुंच प्रदान करने वाला प्रत्येक प्रकाशक, समुचित पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से किसी बालक द्वारा ऐसी अंतर्वस्तु तक पहुंच को निर्बंधित करने के सभी प्रयास करेगा ।

(उ) दिव्यांगजन द्वारा आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच में सुधार करने के लिए उपाय :

आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक ऐसा प्रकाशक, साध्य सीमा तक, समुचित पहुंच सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से उसके द्वारा पारेषित आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक दिव्यांगजन की पहुंच में सुधार करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा ।

अनुसूची

किसी क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के वर्गीकरण का मार्गदर्शक सिद्धांतों के निम्नलिखित सेटों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, अर्थात् :--

भाग 1

फिल्मों के वर्गीकरण और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत वेब आधारित धारावाहिक भी हैं, के लिए साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत

ऐसे साधारण कारक हैं, जो किसी भी स्तर पर और किसी विषय के संबंध में वर्गीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, निम्नलिखित कारकों की व्याख्या की गई है, जिन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों के भाग 2 के साथ पढ़ा जाए :--

(क) संदर्भ :

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर ऐसी अंतर्वस्तु में वर्णित अवधि और देश के समकालीन मानकों तथा ऐसे लोगों, जिनसे ऐसी अंतर्वस्तु संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकेगा । अत:, वह संदर्भ, जिसमें किसी विषय को किसी फिल्म या वीडियों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, पर विचार किया जाएगा । कृति की सेटिंग (ऐतिहासिक, स्वैर कल्पना, वास्तविक, समकालीन आदि) अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने की रीति, अंतर्वस्तु का स्पष्ट आशय, अंतर्वस्तु की मूल प्रस्तुति की तारीख जैसे कारक, और कृति के कोई विशेष गुण वर्गीकरण विनिश्चय को प्रभावित कर सकते हैं ।

(ख) थीम :

वर्गीकरण विनिश्चयों में किसी अंतर्वस्तु की थीम पर विचार किया जा सकेगा, किंतु यह मुख्यत: उस थीम की व्याख्या, विशेष रूप से उसकी प्रस्तुति की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा । अति चुनौतीपूर्ण थीम (उदाहरणार्थ, ड्रग दुरूपयोग, हिंसा, पेडोफिलिया, लिंग, जातियां या साम्प्रदायिक घृणा या हिंसा आदि) वर्गीकरण के कनिष्ठ स्तरों पर उचित नहीं हो सकते ।

(ग) सुर और प्रभाव :

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का, उसके संपूर्ण प्रभाव के दृष्टिकोण से, उसकी समग्रता का अनुमान लगाया जा सकता है । अंतर्वस्तु का सुर उस प्रभाव का विनिश्चय करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसका प्रभाव विभिन्न वर्गों के लोगों पर हो । अत:, ऐसी फिल्म/धारावाहिक, जिनमें हिंसा का अधिक प्रबल चित्रण किया गया है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(घ) लक्षित दर्शकगण :

किसी अंतर्वस्तु का वर्गीकरण कृति के लक्षित दर्शकों पर और ऐसे दर्शकों पर कृति के प्रभाव पर भी निर्भर करता है ।

भाग 2

मुद्दों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों

मार्गदर्शक सिद्धांतों के इस खंड में ऐसे मुद्दे और अंतर्वस्तु सम्मिलित हैं जो वर्गीकरण के सभी प्रवर्गों पर परिवर्ती डिग्रियों में लागू होंगे और साधारण पहुंच को, जो उसके संबंध में ली जा सकती है, विस्तृत करेंगे । अंतर्वस्तु को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा और उन्हें उपरोक्त भाग 1 में सूचीबद्ध चार साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाएगा ।

(क) विभेद :

अंतर्वस्तु के सुस्पष्ट वर्गीकरण में ऐसे मामलों जैसे कि जाति, मूल वंश, लिंग, धर्म, दिव्यांगता या लैंगिकता जो कृति की बृहद परास से उद्भूत होते हैं पर फिल्म के प्रभाव को और वर्गीकरण विनिश्चय में उनके समावेशन की शक्ति और प्रभाव को हिसाब में लिया जाएगा ।

(ख) मन:प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकू :

1) फिल्म/धारावाहिक, आदि अभिनय के रूप में मन:प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकू का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करते हैं वे वर्गीकरण के उच्चतम प्रवर्ग के लिए अर्हक होंगे ।

(ग) अनुकरणीय व्यवहार :

(1) वर्गीकरण विनिश्चय में किसी आपराधिक अभिनय और हथियारों के साथ हिंसक व्यवहार को हिसाब में लिया जा सकेगा ।

(2) संभवत: खतरनाक व्यवहार का अभिनय, जिससे किसी अपराध (जिसके अंतर्गत आत्महत्या और स्वयं-क्षति की पीड़ा भी है) का उत्प्रेरण संभाव्य है और जिसकी बालक और युवा वर्ग संभवत: नकल करेगा, उसे उच्चतर वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) फिल्म/धारावाहिक, जिनमें ऐसे प्रगीत और भाव भंगीमा के साथ गाने और नृत्य हैं, जिनमें लैंगिक व्यंग्य है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जाएगा ।

(घ) भाषा :

(1) हमारे देश में निहित भाषायी अनेकता में भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है । भाषा, बोली, मुहावरा और प्रियोक्ती, क्षेत्रवार और विशिष्ट-संस्कृति के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है । इस कारक को विशिष्ट प्रवर्ग में कृति के वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

(2) भाषा, जिसे लोग घृणास्पद पाए, में अपशब्दों का प्रयोग सम्मिलित है । अपराध का विस्तार, आयु, लिंग, मूलवंश, पृष्ठभूमि, विश्वास के अनुसार और लक्षित दर्शकों की कृति से अपेक्षाओं के साथ-साथ वह संदर्भ, धर्म और भाषा, जिसमें शब्द, पद और भाव भंगीमा प्रयुक्त की जाती है, के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकेगा ।

(3) शब्दों, पदों, भाव भंगीमाओं जो प्रत्येक भारतीय भाषा के प्रत्येक प्रवर्ग में स्वीकार्य है की व्यापक सूची तैयार करना संभव नहीं है । इसलिए, विभिन्न वर्गीकरण स्तरों पर सलाह इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित अंतर्वस्तु के लिए वर्गीकरण के स्तर का निर्णय करते समय साधारण मार्गदर्शन का उपबंध करती है ।

(ङ) नग्नता :

(1) ऐसी कोई अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी ।

(2) लैंगिक सदर्भ के साथ नग्नता को **ए** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(च) सेक्स :

ऐसी कोई अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी । अंतर्वस्तु को **यू/ए** 16+ से "**ए**" विभिन्न रेटिंग में वर्गीकृत किया जाएगा, जो कामुक व्यवहार के अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चित्रण के अभिनय पर निर्भर करेगा ।

(छ) हिंसा :

वर्गीकरण विनिश्चय में कृति में हिंसा की डिग्री और प्रकृति को हिसाब में लिया जाएगा ।

[फा.सं. 16(4)/2020-सीएलईएस]

डॉ. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव